

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
क्रमांक/एफ-5/1121/2022/10-11/ 1231 भोपाल, दिनांक 23/02/2024
प्रेषक :-

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- ग्वालियर जिले में वेस्टर्न बायपास के निर्माण हेतु 42.83 हेक्टेयर वनभूमि भारतीय
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्वालियर को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/6-MPR 015/2022-BHO/ दि. 14.02.2023 एवं दि. 11.12.2023

-----0-----

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।
जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 06 बिन्दुओं पर
बिन्दुवार जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई बिन्दुवार जानकारी का विवरण
निम्नानुसार है:-

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	The State Govt. shall submit the complete KML file of proposed Forest land and non-Forest land involved in this road project.	आवेदक संस्थान द्वारा प्रकरण की पूर्ण KML फाईल (वन भूमि एवं गैर वनभूमि की) ऑनलाईन भाग-1 में अपलोड कर दी गई है।
2	The State Govt. shall explore the possibilities of minimising the area proposed for diversion.	वन मण्डल अधिकारी, ग्वालियर ने अपने पत्र दिनांक 31.01.2024 से अवगत कराया है कि वैकल्पिक संरेखण मार्ग की जांच की गई। चयनित मार्ग की लागत, तकनीकी एवं आर्थिक आधार पर विचार कर इस मार्ग को चुना गया है, आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत विवरण संलग्न है।
3	The State Govt./User Agency shall submit detailed reasons for not choosing alternative one in which the affected forest length is minimum and submit the detail Alternative route maps along with KML files.	
4	The State Govt. shall submit the status of clearance form SCNBWL (part of Ghatigaon WLS)	प्रकरण में प्रस्तावित मार्ग में से कुछ क्षेत्र घाटीगांव हुकना (सोनचिड़िया) पक्षी अभ्यारण्य का प्रभावित होने के कारण राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की स्टैंडिंग कमेटी की 72वी बैठक दिनांक 25.04.2023 में अधिरोपित शर्तों के तहत अनुमति दी गई है। मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) के पत्र दिनांक 09.02.2024 की छायाप्रति संलग्न है।

5	The State Govt. shall submit the documentary evidence of existence of this road prior to 1980.	वन मण्डल अधिकारी ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया है कि The existing road in forest area outside the sanctuary has been constructed by SADA, Gwalior after 1980. The section of road proposed inside the sanctuary area is Greenfield and prior road doesn't exist. The project proponent has submitted Compensation/offset plan based on will recommendations to compensate for the habitat loss.
6	Details of existing ROW's proposed ROW and land width (ROW) availability for road side plantation needs to be submitted and accordingly plantation scheme for roadside plantation needs to be submitted.	आवेदक संस्थान ने रोड साइड प्लांटेशन करने के संबंध में विवरण प्रस्तुत किया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।
संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

hi 23.02.24
(एच.एस. मोहन्ता)
भोपाल, दिनांक 23/02/2024

पृ. क्रमांक/एफ-5/1121/2022/10-11/1232
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), ग्वालियर वृत्त, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
 2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
 3. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेंदुलकर मार्ग, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

hi 23.02.24
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल